भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1994

दिनांक 11.05.2016/21 वैशाख, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

निवासियों द्वारा यातायात के चेतावनी संकेतकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा उठाए गए कदम

1994. श्री सालिम अन्सारीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यातायात पुलिस ने साउथ एक्सटेंशन पार्ट- । साउथ दिल्ली में यातायात के सुचारू यातायात तथा कालोनी में जाम की स्थिति को दूर करने के लिए गति अवरोधक तथा चेतावनी संकेतक संस्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि बाहर निकलने के लिए लोग प्रवेश/निर्गम दोनों मार्गों का अब भी इस्तेमाल कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो यहां के निवासियों द्वारा चेतावनी संकेतकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस किन-किन कदमों पर विचार कर रही है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू)

(क) और (ख): दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि निवासियों के बीच व्यापक सहमति, क्षेत्र के रेजिडेंट वेलफेयर एसोशिएसन के अनुरोध और ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों तथा स्थानीय पुलिस द्वारा किए गए वास्तविक निरीक्षण को दृष्टिगत रखते हुए, यातायात का सुचारू प्रवाह सुनिश्चित करने और क्षेत्र में जाम की स्थिति को रोकने के लिए साउथ एक्सटेंशन पार्ट-। में निम्नलिखित अवरोधक और चेतावनी संकेतन स्थापित किए गए हैः

(1) पैट्रोल पंप के निकट प्रवेश बिन्दु (राजेश्वर आर्य मार्ग) और निकास बिन्दु (हरज्ञान सिंह मार्ग) पर 04 पीले अवरोधक लगाए गए हैं।

------2/-

<u>रा.स.अता.प्र.सं.1994</u>

(2) प्रवेश बिन्दु और निकास बिन्दुओं पर “एक तरफा मार्ग” (केवल प्रवेश, केवल निकास) के 06 संकेतन स्थापित किए गए हैं।

(3) महत्वपूर्ण स्थलों पर कॉलोनी में “नो हाल्टिंग/नो पार्किंग/नो वेटिंग ” के 06 संकेत क स्थापित किए गए हैं।

(ग) और (घ): इन निर्देशों का उल्लंघन करते पाए गए किसी मोटर वाहन पर विधिक उपबंधों के तहत मुकदमा चलाया जाता है। दिनांक 01.01.2016 से 02.05.201 6 की अवधि के दौरान बाधक और अनुचित पार्किंग के लिए कुल 959 वाहनों पर अभियोग चलाया गया है, क्रेनों द्वारा 713 वाहनों को खींच कर हटाया गया और एक तरफा उल्लंघन के लिए 516 वाहनों पर अभियोग चलाया गया।

*****